इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 18, अंक 1

जनवरी से मार्च 2011

समाज को बदलना है, तो खुद को भी बदलें महिलाएं

माइक्रो फायनांस : जरूरी है असली और नकली की पहचान
भारत डोगरा

आई.एस.एस.टी. समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली सरकार क्या–क्या कदम उठाने जा रही है और इसमें क्या–क्या चुनौतियां हैं इसे जानने के लिए प्रशांत सोनी ने दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री प्रोफेसर किरण वालिया से बातचीत की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रशांत सोनी द्वारा प्रोफेसर किरण वालिया से लिया गया यह साक्षात्कार यहां प्रस्तुत है।

इन दिनों माइक्रोफायनांस काफी चर्चा में है। माइक्रोक्रेडिट योजना के जनक बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनके इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। लेकिन योजना के विगत कुछ वर्षों के अनुभवों के आधार पर प्रो. मोहम्मद युनूस खुद भी गरीबी उन्मूलन के इस फार्मूले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्रसंघ में उन्होंने साफ कहा कि "हम लोगों ने माइक्रोक्रेडिट का निर्माण लोन शार्क्स यानी गिद्धनुमा महाजनों से मुक्ति के लिए किया, कुछ नए लोन शार्क्स पैदा कर देने के लिए नहीं।" ये नये आधुनिक कंपनी रूपी महाजन छोटे उद्योगों और गरीबों के नाम पर अपने उद्योग और अमीरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

आज जरूरत है इसके असली और नकली रूप को पहचानने की। बता रहे हैं – भारत डोगरा।

इसके अलावा आईएसएसटी में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी यहां प्रस्तुत है।

समाज को बदलना है, तो खुद को भी बदलें महिलाएं

महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार की क्या पॉलिसी है ?

दिल्ली सरकार सामाजिक क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में जिस गति से इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, उसी गति से सामाजिक ढांचे में भी सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पारिवारिक ताना–बाना, संस्कार, हमारे जस्टिस सिस्टम – ये तमाम मुद्दे हैं, जिन पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और इस दिशा में हमने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं।

इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

महिला सशक्तीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें 'लाडली' योजना सबसे महत्त्वपूर्ण है। इससे केवल महिलाओं के घटते लिंग अनुपात को बढ़ाने में ही मदद नहीं मिली, बल्कि इसके माध्यम से महिलाओं के प्रति समाज और परिवार की सोच बदलने में भी हम काफी हद तक सफल रहे। 2008–09 में इस योजना के शुरुआत के समय लिंगानुपात में एकदम बढ़ोत्तरी हुई थी और 1000 लड़कों के अनुपात में 1004 लड़कियां जन्मी थीं। इससे पहले 2007 में यह अनुपात 1000 लड़कों के मुकाबले 845 था। पिछले साल भी 1000 लड़कों के मुकाबले 952 लड़कियां जन्मीं।

इस योजना में लड़कियों के जन्म से लेकर उनके पालन पोषण, शिक्षा और बालिग होने के बाद उनकी शादी तक विभिन्न स्टेज पर सरकार हर तरह से लड़की और उसके परिवार को सहयोग कर रही है। इस योजना का काफी सकारात्मक असर देखने को मिला। इसके अलावा भी कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम कई तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी क्या कोई नई योजना शुरू की जा रही है ?

हां, इस दिन हम एक नई योजना 'आवाज उठाओ' शुरू करने जा रहे हैं। वास्तव में महिलाओं के प्रति समाज का रवैया बदलने के लिए महिलाओं को खुद भी बदलना होगा। अक्सर महिलाएं चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं। इस योजना के माध्यम से हमारी कोशिश है कि महिलाएं आगे आएं और अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि उनकी समस्याओं पर गौर करके उनको दूर करने की कोशिश की जा सके। अभी हमने 25 इलाके चिन्हित किए हैं, जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना चलाई जाएगी। इसमें हमने 10–12 लोगों के छोटे–छोटे समूह बनाए हैं, जिनमें स्थानीय आरडब्ल्यूए के सदस्य, स्थानीय थाने का स्टाफ, एक महिला पुलिसकर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर और एनजीओ कार्यकर्ताओं के अलावा दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी रखा गया है। ये समूह मिलकर महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। सरकारी स्तर पर भी एक कमेटी बनाई गई है, जो इस योजना के अंतर्गत चल रहे काम पर निगरानी रखेगी और हर संभव सहायता करेगी।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

महिलाओं की सुरक्षा के कानूनी पहलू को मजबूत करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। नाबालिग बच्चियों से रेप के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए अलग से 9 स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में चेकिंग बढ़ाने के लिए कहा है। बीपीओ कंपनियों को भी आदेश जारी करके महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बालिग लड़की से रेप के मामले में भी अलग से डेडिकेटेड कोर्ट बनाने के लिए हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। इसके अलावा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों में छापे मारे गए हैं और 2009 से इसका जिम्मा सीडीएमओ के बजाय इलाके के डीसी को दे दिया गया है ताकि इस मामले में किसी भी तरह के फेवर की संभावना न रहे। इसके अलावा घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाया गया है और इसके अंतर्गत 17 सुरक्षा अधिकारियों को रखा गया है। ऑफिसों में होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए भी एक बिल तैयार किया गया है, जो जल्दी ही एक्ट का रूप लेने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ दिल्ली कैंपेन भी लॉन्च किया गया। निराश्रित गर्भवती महिलाओं को बच्चे का जन्म होने तक पूरी डॉक्टरी सहायता मिल सके, इसके लिए जहांगीरपुरी और सराय रोहिल्ला में दो यूनिट शुरू की गईं। मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के इलाज और उनकी देखभाल के लिए निर्मल छाया में मेंटल हैल्थ यूनिट बनाई गई। साथ ही दिल्ली सरकार के सभी होम्स में स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से महिलाओं और बच्चों की शिक्षा का भी इंतजाम किया गया।

महिलाओं के सशक्तीकरण के मामले में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ?

सबसे बड़ी चुनौती तो महिलाओं के प्रति परिवार और समाज की सोच बदलना है। इसके लिए सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा और स्कूलों और कॉलेजों में जाकर समझाना होगा। इसके अलावा महिलाओं पर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, प्रताड़ना या अत्याचार के मामले में तुरंत न्याय करने की जरूरत है। इससे कानून व्यवस्था के प्रति महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा। हमारे यहां कानूनों की कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें सही तरीके से लागू करने की।

महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी ?

मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपने स्वाभिमान के लिए आपको आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगी, तब तक समाज भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार की कोशिश है कि जो महिलाएं आगे आकर आवाज उठाना चाहती हैं, उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल सके। सरकार इस मामले में महिलाओं की हरसंभव सहायता करने के लिए तत्पर है। जब तक परिवार और समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान और अधिकार नहीं मिलता, तब तक हमारा काम अधूरा रहेगा।

नवभारत टाइम्स से साभार

माइक्रो फायनांस : जरूरी है असली और नकली की पहचान

भारत डोगरा

माइक्रो फाइनांस इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। इससे जुड़ी कुछ बड़ी कंपनियों ने विकास कार्य को आगे बढ़ाने की आड़ में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति अपनाई और उनके जाल में फंसे कई गरीब परिवार तनावग्रस्त होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। कंपनियों की इन अनुचित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके साथ ही छोटे स्तर की बचत व उद्यम के क्षेत्र में जो अनेक सार्थक काम हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे, यह भी जरूरी है।

हमारे देश में माइक्रो फाइनांस को आरंभिक ख्याति अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए गए स्वयं सहायता समूहों के अच्छे काम के कारण मिली। अपनी ईमानदारी और गरीब लोगों के लिए काम करने वाली अनेक छोटी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने

स्वयं सहायता समूहों का गठन करने की राह अपनाई। इसके तीन लक्ष्य थे – साहूकारों से मुक्ति दिलवाना, छोटी आय के उद्यमों को प्रोत्साहित करना और निर्धन परिवारों, विशेषकर महिलाओं को व्यापक प्रगति के लिए संगठित करना। ऐसे प्रयासों की बुनियाद में 10–20 सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसके सभी सदस्य प्रति माह कुछ रुपए, जितना भी हो सके बचत के रूप में अपने समूह में जमा करवाते हैं। अधिकांश समूह महिलाओं के बनाए गए हैं। प्रत्येक सदस्य को कितने रुपए जमा करने हैं, यह समूह के सदस्य मिलकर तय करते हैं। यह राशि प्रायः 10 से 50 रुपए के बीच होती है। समूह के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को चुना जाता है। समूह में प्रति माह जो बचत एकत्रित होती है, उससे समूह के सदस्य जरूरत पड़ने पर जैसे बीमारी या दुर्घटना के समय कर्ज ले सकते हैं और इसे निर्धारित किस्त में लौटा सकते हैं।

ऐसे स्वयं सहायता समूह के अनेक लाभ सामने आए हैं। प्रायः जहां साहुकार 5 से 10 प्रतिशत प्रति माह ब्याज लेते हैं, वहां स्वयं सहायता समूह की ब्याज दर 2 प्रतिशत होती है। जहां साहुकारों से कर्ज लेने पर कुछ गिरवी रखना होता है, वहां स्वयं सहायता समूहों से कर्ज लेने के लिए यह बंधन नहीं है। साहुकारों से कर्ज लेने पर कई जगह बंधुआ मजदूरी का भी एक बड़ा खतरा होता है, स्वयं सहायता समूह में इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्ज का जो पैसा आता है वह स्वयं सहायता समूह के पास ही रहता है, किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं जाता है। जैसे–जैसे स्वयं सहायता समूह के पास राशि बढ़ने लगती है वैसे–वैसे वह छोटे उद्यमों के लिए जैसे दुकान या डेयरी की स्थापना के लिए कर्ज दे सकता है।

स्वयं सहायता समूह को किसी बैंक से जोड़ा जाता है। कुछ समय बाद संतोषजनक प्रगति होने पर बैंक से भी छोटे उद्यम के लिए कर्ज मिलने की संभावना उत्पन्न होती है। प्रायः इसके बहुत सार्थक परिणाम देखने में आते हैं। पर दूसरी ओर माइक्रो फायनांस व छोटे उद्यम को प्रोत्साहित करने के नाम पर ऐसी कई कंपनियां बनाई गईं, जिनका सामाजिक चेतना व व्यापक समाज सुधार से कोई लेना–देना नहीं था। संकीर्ण आर्थिक सोच से उन्होंने तेजी से अपने काम को यह कहकर बढ़ाया कि वे छोटे उद्यम के लिए कर्ज देकर गरीबी कम करने में योगदान देंगी। उनमें जल्दबाजी में अपना कारोबार फैलाने की प्रवृत्ति थी। इनमें से कुछ कंपनियों ने नाम तो छोटे उद्यम व गरीबों का लिया पर काम अपने मुनाफे को तेजी से बढ़ाने का किया। कुछ कंपनियों ने ब्याज की राशि इतनी अधिक रख दी कि वे नए साहूकारों के रूप में कुख्यात होने लगीं।

इस नई साहुकारी से त्रस्त अनेक गरीब परिवार तबाह होने लगे व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आत्महत्याओं के समाचार मिलने लगे तो सरकार को होश आया। अब माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण–नियमन की चर्चा हो रही है ताकि अच्छे कार्यों की आड़ में नई व अधिक शक्तिशाली साहुकारी से बचा जा सके। पर इसके साथ भी यह जरूरी है कि देश में माइक्रो फाइनांस की जो अच्छी बुनियाद अनेक निष्ठावान स्वैच्छिक संस्थाओं ने तैयार की है, उसे प्रोत्साहित किया जाए। छोटी

बचत, इस बचत से जुड़े छोटे समूह व छोटे उद्यम की स्थापना का मॉडल बहुत अच्छा है व इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए।

नवभारत टाइम्स से साभार

मानव विकास पर यूएनडीपी–प्लानिंग कमीशन कार्यक्रम

पिछले दिनों आईएसएसटी द्वारा मानव विकास पर यूएनडीपी–प्लानिंग कमीशन कार्यक्रम के मूल्यांकन का काम पूरा किया गया। देश में मानव विकास के विचार के क्रियान्वयन में यूएनडीपी की सक्रियता के दस वर्ष पूरे होने पर यूएनडीपी, दिल्ली द्वारा यह मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया।

इस मूल्यांकन के लिए संबंधित विषय पर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इन पांच राज्यों का क्षेत्रीय दौरा और इंटरव्यू को आधार बनाया गया। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का कुल मिलाकर और किस तरह असर हुआ इसे आंकना था।

प्रस्तुत अध्ययन में इस ढांचे की प्रमुखता, सार्थकता और निरंतरता – मानव संसाधन श्रृंखला का यूएनडीपी और देश के राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकतायें; राष्ट्र, राज्य और जिले के मानव संसाधनों में असमानता; मानव विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर नीति–निर्धारण, योजना बनाने और क्रियान्वयन आदि में भारत सरकार और यूएनडीपी की पहुंच– जैसे प्रमुख प्रश्नों की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया।

स्टेप कार्यक्रम : मूल्यांकन

पिछले दिनों आईएसएसटी ने भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की स्टेप योजना के अंतर्गत आदर्श महिला कल्याण शिक्षा समिति, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ज़री–ज़रदोज़ी के काम की मूल्यांकन की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी।

मूल्यांकन टीम ने उन सभी पांच स्थानों का दौरा किया, जहां पर इन महिलाओं ने स्टेप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद उत्पादन का काम शुरू किया है। इस मूल्यांकन में 83 महिलाओं से बातचीत की गई यह बातचीत आईएसएसटी द्वारा तैयार प्रश्नावली पर आधारित थी। इसके अलावा लाभार्थियों के विभिन्न समूहों के साथ समूह चर्चा और प्रमुख कार्यक्रम अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई।

प्लानिंग वर्कशॉप : जेंडर एंड इवेल्यूएशन

आईएसएसटी ने पिछले दिनों 'जेंडर एंड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट : इवेल्यूएशन कन्सर्न' पर एक दिन की वर्कशाप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में नीतिनिर्धारक, शोधकर्ताओं, विकास से जुड़ी संस्थाओं के सदस्यों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में शोध अध्ययनों के माध्यम से उद्धरण आधारित नीति निर्धारण पर चर्चा की गई। इस गोष्ठी में प्रस्तुत परचों में मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों और महिलाओं की चिंता की झलक थी।

लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश

आईएसएसटी में इन दिनों लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने पर अध्ययन चल रहा है। इससे पूरे देश में जेंडर समानता और

समान दर्जे की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इस अध्ययन का उद्देश्य यूनिसेफ को लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और दिशा–निर्देश तैयार करने में सहयोग देना है। इस अध्ययन में क्षेत्रीय आंकड़ों और जानकारियों को एकत्र करके दिशा–निर्देश में एक साथ रखा जाएगा। ये दिशा–निर्देश मानव संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध होगा, जिसे लड़कियों की शिक्षा की योजना में प्लानिंग और क्रियान्वयन में उपयोग किया जायेगा।

इसके अलावा आईएसएसटी इस विषय पर हुए अब तक के शोध अध्ययनों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक परचा भी तैयार करेगा। इस अध्ययन में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर असमानता को कम करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए जायेंगे। यह अध्ययन यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

आईएसएसटी अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वालों पर एक अध्ययन कर रहा है। सेवा महिला ट्रस्ट ने अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वाली 57110 महिलाओं को संगठित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इनकी जीवकोपार्जन की सुरक्षा और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। सेवा महिला ट्रस्ट को अपने इस उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली है, उसके काम के असर को समझने के लिए आईएसएसटी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है। दो चरणों में किया जाने वाला यह अध्ययन बेस लाईन और एंडलाईन सर्वे पर आधारित है। इस अध्ययन का पहला चरण बेसलाईन सर्वे पूरा हो चुका है। सितंबर 2009 में सेवा को उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। एंड लाईन सर्वे 2011 में होगा।

सेवा एकेडमी : विभिन्न गतिविधियों के असर का मूल्यांकन

सेवा एकेडमी में प्रॉस्विल के सहयोग से चल रही विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव को जानने के लिए मूल्यांकन का काम आई.एस.एस.टी. को सौंपा गया है। परस्पर भागीदारी तरीके से किए जा रहे इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इन विभिन्न गतिविधियों में सुधार करना और इनमें मजबूती लाना है। पहले वर्ष का यह मूल्यांकन तीन तरह की प्रक्रियाओं से गुजरा है। इनमें से पहली दो प्रक्रियायें प्रमुख रूप से प्रशिक्षकों के साथ हुई बातचीत पर आधारित हैं। तीसरी प्रक्रिया में सीधे चयनित प्रशिक्षार्थियों के साथ समूह चर्चा, सेवा एकेडमी की टीम के साथ बातचीत और कुछ प्रशिक्षण स्थानों की विज़िट को मूल्यांकन का आधार बनाया गया।

कश्मीर : केस स्टडी

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक हिंसा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम का सामाजिक बदलाव पर क्या असर हुआ है, यह जानना है। इस अध्ययन से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इस मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के योगदान से शांति और विकास की दिशा में कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है। मनौवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पीएडीएचआई मॉडल अपनाया जाएगा। यह अध्ययन अल्स्टर युनिवर्सिटी, युनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया जा रहा है। इस अध्ययन में अल्स्टर युनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित मापदंडों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

बस्ती विकास केंद्र

आईएसएसटी एक लंबे समय से पूर्वी दिल्ली की कुछ बस्तियों में काम कर रहा है। कल्याणपुरी साथी सेंटर से ये गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना है। इसके लिए विविधता पूर्ण अभिनव तरीके जैसे समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि माध्यम अपनाए जाते हैं। छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 'बचपन' कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से आईएसएसटी साथी सेंटर बस्ती के लोगों के साथ 'सूचना के अधिकार' पर काम कर रहा है। पिछले तीन माह में साथी केंद्र के सहयोग से पूर्वी दिल्ली की आस–पास की बस्तियों से अधिकांश लोगों ने 'सूचना के अधिकार' के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की हैं। कल्याणपुरी में 'सूचना के अधिकार' विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। गांधी जी के जीवन और दर्शन को समझने के लिए बस्ती के युवक – युवतियों को गांधी संग्रहालय भी ले जाया गया।

बस्ती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईएसएसटी साथी केंद्र, कल्याणपुरी में बस्ती के लिए दो सर्टिफिकिट कोर्स चलाए जा रहे हैं – कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी और फंक्शनल इंग्लिश। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि छः माह है। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन पर बच्चों को संबंधित विषय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस समय दोनों पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग 75 है।

सामाजिक सुविधा संगम

12 अक्टूबर 2009 से शुरु हुए आईएसएसटी जीआरसी – सुविधा केंद्र को चलते हुए लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। बस्ती के लिए उपलब्ध सरकारी सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी से बस्ती के लोगों में जो अत्यधिक उत्साह और उम्मीदें हैं, उनकी प्रत्यक्ष गवाह है– आईएसएसटी जीआरसी सेंटर।

आईएसएसटी जीआरसी में निम्नलिखित सेवायें उपलब्ध हैं – स्वास्थ्य कैम्प, पौष्टिक आहार कैम्प, हैल्थ क्लीनिक, लीगल काउंसलिंग, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सर्वे में सबसे अधिक मांग किए जाने वाले दो कोर्स कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्ती की युवा लड़कियों ने वोकेशनल कोर्सों में विशेष रुचि दिखाई। बस्ती के लोगों को गतिशील बनाने, जानकारी देने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स नियमित रूप से बस्ती जाते हें। सेंटर द्वारा चलाये जाने वाले हैल्थ कैंप में सभी उम्र के लोग अच्छी संख्या में आते हैं। हैल्थ क्लीनिक में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें ज्यादा आती हैं। पौष्टिक आहार कैम्प में भी अच्छी संख्या में महिलायें आती हैं। इस कैंप में इन्हें बीमारी, गर्भावस्था, बाल्यावस्था आदि के लिए किस तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसका क्या महत्त्व है आदि बातों की जानकारी दी जाती है और बनाकर भी दिखाया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा में कल्याणपुरी इलाके के युवा लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़के–लड़कियां ऐसे हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं या किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर बहुत–से बच्चों ने ओपन स्कूल में एडमीशन लिया, यह इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कानूनी परामर्श कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आएं, इसके लिए बस्ती के लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हालांकि बड़े पैमाने पर हुए जागरूकता सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आज तक आईएसएसटी जीआरसी के 6 स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, इनमें से तीन

समूह राष्ट्रीकृत बैंक से संबद्ध हो गए है। यह योजना मजबूती के साथ धीमी गति से बढ़ रही है।

बीस साल बाद पुरुषों से बीस कम होंगी महिलाएं

हाल ही में हुए एक अध्ययन में बताया गया है कि हमारे देश में लड़के का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि आने वाले दो दशकों में देश में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या 20 प्रतिशत ज्यादा हो जाएगी।

अध्ययन में कहा गया है कि गर्भ में बच्चे का सेक्स जानकर गर्भपात कराने की आसान सुविधाओं के कारण भारत, चीन और साउथ कोरिया में पुरुष–महिला अनुपात गड़बड़ा गया है।

इससे पहले आए अध्ययन में भी यह बात सामने आई है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की वजह से सालाना 5–7 लाख लड़कियां और रोजाना दो हजार लड़कियां जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं। जिन परिवारों में पहले से ही बेटी है, उनमें दूसरी बेटी आने की संभावना 54 प्रतिशत कम होती है। जिन परिवारों में पहले से ही दो बेटियां हैं, वहां तीसरी बेटी के जन्म की संभावना 20 प्रतिशत कम होती है।

दूसरी ओर माना जाता है कि दुनिया भर में आमतौर पर 105 पुरुषों पर 100 महिलाएं पैदा होती हैं। इस अनुपात को सेक्स रेश्यो एट बर्थ (एसआरबी) कहा जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में अलग–अलग क्षेत्रों में यह अनुपात अलग–अलग है। उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्से जैसे पंजाब, दिल्ली और गुजरात में यह अनुपात 125 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों केरल और आंध्र प्रदेश में यह अनुपात 105 है।

हेसकेथ के अनुसार, भारत में तेजी से घटते लिंग अनुपात के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बने कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं हो पाना है। अध्ययन में बताया गया है कि भारत में करीब 34 हजार रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लीनिक हैं, और अवैध क्लीनिक्स का कोई लेखा–जोखा नहीं है। डॉक्टर हेसकेथ के अनुसार "सिर्फ साउथ कोरिया में ही कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़ाई से कानून का पालन किया जा रहा है। जबकि भारत और चीन में अल्ट्रासाउंड से मादा भ्रूण का पता लगाकर गर्भपात कराना बेहद आसान है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह सब बड़े–बड़े अस्पतालों में क्वालिफाइड डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। इससे सरकार की नाकामी पता चलती है।"

यह एक सामान्य प्रचलन है कि अगर किसी की पहली या दूसरी संतान बेटी है, तो माता–पिता चाहते हैं कि दूसरी या तीसरी संतान बेटा ही हो। अध्ययन में बताया गया है कि अगर किसी की पहली या दूसरी संतान लड़की है, तो भारत में दूसरे बच्चे के जन्म के समय एसआरबी 132 और तीसरे बच्चे के समय 139 होता है। जबकि पहला या दूसरा बच्चा लड़का होने की स्थिति में एसआरबी आश्चर्यजनक रूप से नॉर्मल होता है। ये आंकड़े सीधे तौर पर पहला या दूसरा बच्चा लड़की होने की स्थिति में दूसरे या तीसरे बच्चे के रूप में लड़के की चाहत बताते हैं।

नवभारत टाइम्स से साभार

आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए,
इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र,
साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 18, अंक 2

अप्रैल – जून 2011

शिक्षा अधिकार कानून : पहली सालगिरह
रामपाल सिंह

स्टेप कार्यक्रमः मूल्यांकन

घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम

जेंडर रिसोर्स सेंटर के क्रियान्वयन अनुभव का मूल्यांकन और दस्तावेज

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए पूरा एक वर्ष हो गया है, लेकिन अभी यह अपनी सुप्तावस्था में ही है। सरकारी ढांचे को तो यह भी नहीं मालूम कि इस तरह का भी कोई कानून है, तो क्रियान्वयन की बात तो बहुत दूर की है।

एक साल में इस कानून की क्या प्रगति हुई है, इसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। इसकी जानकारी दे रहे हैं–श्री रामपाल सिंह।

इसके अलावा आई.एस.एस.टी. में बहुत से ऐसे काम हैं जो इस दौर में खत्म हुए, कुछ नये काम शुरु हुए। इन सबकी जानकारी भी आपको इस अंक में मिलेगी।

शिक्षा अधिकार कानून : पहली सालगिरह

रामपाल सिंह

पिछले साल एक अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिक्षा अधिकार कानून लागू करने की घोषणा की तो लगा जैसे यह नए भारत की नई शुरुआत है। स्वतंत्रता के 64 साल बाद बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, जबकि हमारे पड़ौसी देश श्रीलंका और बांग्ला देश अंदरूनी लड़ाईयों के बावजूद बहुत पहले ये अधिकार अपने बच्चों को दे चुके थे। प्रारंभिक उत्साह के बाद, जहां मंत्रालयों ने संसाधनों की कमी की दुहाई देनी शुरू की, वहीं राज्य सरकारें अपनी असमर्थता सिद्ध करने में जुट गईं। अब, इस कानून को बने एक साल हो चुका है तब, इसके क्रियान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों और तंत्रगत प्रगति की पड़ताल आवश्यक हो जाती है।

विश्लेषण रिपोर्ट

विगत एक साल में इस कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की एक विश्लेषण रिपोर्ट गैर–सरकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से जारी की है। रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर 'सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा' के प्रति राजनैतिक प्रतिबद्धता और प्राथमिकता की कमी की ओर इशारा करती है। 1911 में पहली बार 'अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा' का प्रस्ताव भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव एसेंबली में रखा गया था, जहां महाराजा दरभंगा ने उसका विरोध किया था। इस घटना के 100 साल बाद जब यह कानून बन चुका है तब भी झिझक बिल्कुल सौ साल पहले जैसी ही है।

राज्यों की बेरुखी

कानून बनाने के छह माह के भीतर प्रत्येक राज्य को आदर्श नियम बनाकर इसकी अधिसूचना जारी करनी थी। साथ ही विद्यालयों में स्कूल प्रबंध समिति का निर्माण किया जाना था। पर यदि विश्लेषण रपट देखें तो किसी भी राज्य में विद्यालय प्रबंध समिति बनाने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की, जबकि स्कूल जाने योग्य बच्चों की पहचान, उनका नामांकन और स्कूल में उनके बने रहना इसी समिति की जिम्मेदारी है। स्कूल विकास योजना बनाने का काम तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जिन 19 राज्यों ने आदर्श नियम बनाए भी हैं उनमें से भी सिर्फ उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ही इसको लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है। यानि देश के 15 प्रतिशत राज्यों ने भी अभी इसके क्रियान्वयन की पहली सीढ़ी पार नहीं की है।

राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने न सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन का प्रारंभिक काम शुरू किया है बल्कि, स्कूल से बाहर मौजूद बच्चों की संख्या जानने के लिए कारगर सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है। राजस्थान सर्व शिक्षा अभियान द्वारा करवाए गए इस सर्वेक्षण पर 12 लाख बच्चे स्कूल से बाहर पाए गए, जिनमें लगभग 7 लाख 11 हजार लड़कियां और 4 लाख 77 हजार लड़के हैं। शिक्षा अधिकार कानून के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्थानीय निकायों को हर राज्य में इस तरह का सर्वेक्षण करवाना आवश्यक है।

जब हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तब स्थिति और अधिक उलझाने वाली जान पड़ती है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5–14 वर्ष के बच्चों की आबादी लगभग 25 करोड़ थी, जिनमें 18 करोड़ बच्चे स्कूलों में थे। ये बच्चे 8 लाख 80 हजार स्कूलों में 5 लाख 70 हजार शिक्षकों से पढ़ रहे थे। स्कूल जाने वाले इन बच्चों में से 46 प्रतिशत अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। अगर इन ड्रॉपआउट बच्चों को एक तरफ कर दें तो भी सरकार को यह जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर लेनी ही चाहिए कि स्कूल से बाहर रहे 7 करोड़ बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं ? इस संबंध में पिछली 4 मार्च को राज्य सभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जो आंकड़े रखे गए, वे भी दिग्भ्रमित करने वाले थे।

इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो द्वारा कराए गए सैंपल सर्वे की जानकारी देते हुए कहा गया कि पूरे देश में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या मात्र 81 लाख है। जब अकेले राजस्थान में ही 12 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो पूरे देश में सिर्फ 81 लाख बच्चों के बाहर होने का आंकड़ा संदेह पैदा करता है। ऐसे विरोधाभासी आंकड़ों ने शिक्षा अधिकार कानून की डगर को और पेंचीदा

बना दिया है। जरूरत ईमानदार आंकड़ों पर ईमानदारी से सोचकर तुरंत कार्यवाही करने की है। स्कूल से बाहर बच्चों और अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत का आधिकारिक आंकड़ा जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक सारे तीर अंधेरे में चलाए जायेंगे।

शिक्षा अधिकार कानून पर अगले दो साल में अमल सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता भी एक आवश्यकता है। विश्लेषण रिपोर्ट कहती है कि आम जनता के अलावा सरकारी अफसरों को भी अब तक इस कानून की पूरी जानकारी नहीं है। शिक्षा अधिकार हनन संबंधी शिकायतों की संख्या पूछे जाने पर आयोग ने साल भर में मात्र 137 शिकायतें दर्ज होने और उनमें से 51 के हल होने की सूचना दी है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मात्र 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं। स्पष्ट है कि अब तक न तो लोगों को इस अधिकार की जानकारी है और इसके न मिलने पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया या विभाग की ही कोई खबर।

बड़ी लड़ाई

यह आवश्यक है कि इस कानून की जानकारी समाज के हर वर्ग को मिले, जिससे इसका उपयोग किया जा सके। ऐसा तभी संभव है जब इसको लागू करने और राज्यों में नियम बनाने के साथ ही इस पर व्यापक बहस हो। स्थानीय निकायों, पंचायतों, अध्यापकों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी इस प्रक्रिया में सुनिश्चित होनी चाहिए। उपरोक्त विषयों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर हमें शिक्षा अधिकार की बड़ी लड़ाई में उतरना चाहिए, ताकि सबके लिए शिक्षा मात्र एक सपना बनकर न रह जाये।

नवभारत टाइम्स से साभार

स्टेप कार्यक्रम : मूल्यांकन

पिछले दिनों आईएसएसटी द्वारा भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की स्टेप योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों में ज़री–ज़रदोज़ी और बागेश्वर, उत्तरांचल में चल रहे बकरी पालन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया।

इस मूल्यांकन अध्ययन में स्टेप कार्यक्रम का क्षेत्र पर और महिला लाभार्थियों पर क्या असर हुआ है, यह योजना अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही है इसे समझने की पूरी तरह कोशिश की गई है। स्टेप कार्यक्रम के दिशा–निर्देश में दिये गये उद्देश्यों को आधार बनाकर यह मूल्यांकन किया गया।

आदर्श महिला कल्याण शिक्षा समिति, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धन वर्ग की महिलाओं को ज़री–ज़रदोज़ी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण और अन्य सहयोग के माध्यम से स्थायी रोजगार पा सकने योग्य बनाना है। यह मूल्यांकन रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी दी गई है।

मूल्यांकन टीम ने उन सभी पांच स्थानों का दौरा किया, जहां पर इन महिलाओं ने स्टेप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद उत्पादन का काम शुरू किया है। इस मूल्यांकन में 83 महिलाओं से बातचीत की गई यह बातचीत आईएसएसटी द्वारा तैयार प्रश्नावली पर आधारित थी। इसके अलावा लाभार्थियों के विभिन्न समूहों के साथ समूह चर्चा और प्रमुख कार्यक्रम अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई।

इस अध्ययन के निष्कर्ष और आईएसएसटी द्वारा दिये गये सुझावों की संक्षिप्त जानकारी यहां प्रस्तुत है।

निष्कर्ष

आदर्श महिला कल्याण शिक्षा समिति द्वारा निर्धन वर्ग की लगभग 350 महिलाओं को ज़री ज़रदोज़ी के काम का प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं ने इससे पहले यह काम नहीं सीखा था। प्रशिक्षण के बाद 332 महिलाओं ने यह काम जारी रखा। इनमें से 182 महिलायें आदर्श महिला कल्याण शिक्षा समिति के नया कटरा और रसूलाबाद प्रशिक्षण केंद्रों में और शेष 150 महिलायें अपने पड़ौस के मेंहदोरी गांव, स्वराज नगर और चौदह नंबर में काम कर रही हैं।

ये महिलायें 15–25, 15–20 और 20–25 वर्ष की आयु समूह की हैं। चार माह के इस प्रशिक्षण में इन्होंने चेन स्टिच, कुंदन, सितारा, अन्नी, डबका और सूती कपड़े

पर सिल्क के धागे का काम सीखा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक महिला को संस्था द्वारा 250 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी गई। कच्चे माल की व्यवस्था आदर्श महिला कल्याण शिक्षा समिति ने की।

इसके अलावा महिलाओं को स्वास्थ्य, साफ–सफाई, पौष्टिक आहार, एचआईवी/एड्स और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के आरंभिक दौर में महिलाओं ने सिर दर्द और आंख दर्द की शिकायत की। किसी भी केंद्र में क्रेश की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

उत्पादन के काम में लगी सभी महिलाओं को 8–10 सदस्यों के स्वयं सहायता समूह में बांटा गया है। इन समूहों का ग्रामीण बैंक में खाता है। इन सभी समूहों का दुकानदार और ठेकेदारों से संपर्क है। ये लोग इन्हें काम देते हैं और आवश्यक कच्चा माल भी। प्रत्येक महिला की 1000–2500 तक प्रतिमाह आमदनी है।

महिलाओं द्वारा घर के नज़दीक और अधिक वर्कशेड्स बनाने की मांग रखी गयी। इनमें बिजली, अड्डा आदि की भी पर्याप्त सुविधा हो। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि अधिक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ने से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कम्प्यूटर और बैंक खाता प्रबंधन जैसी नई चीजों को सीखने में भी रुचि दिखाई।

सुझाव

लगभग 182 महिलायें आदर्श महिला शिक्षा समिति के साथ काम जारी रखना चाहती हैं। लेकिन स्टेप प्रोजेक्ट के बंद होते ही इन महिलाओं के पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसके लिए कोई स्थायी विकल्प ढूंढने की जरूरत है। अपने घर के आसपास वर्कशेड्स बनाकर ये महिलायें अपना काम जारी रख सकती हैं। इसे शुरू करने में आदर्श महिला शिक्षा समिति मदद कर सकता है।

ज्यादातर काम दुकानदार, ठेकेदारों के माध्यम से मिलता है। यहां पर एक ही दुकानदार है, जो सभी केंद्रों के सभी स्वयं सहायता समूहों को काम देता है। फिलहाल तो यह व्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत दिन तक यह व्यवस्था टिक नहीं पायेगी। अतः अन्य माध्यमों से भी काम मिल सके इसकी तलाश करनी चाहिए। इससे उन्हें बाज़ार की मांग का पता चलेगा और एक ही ठेकेदार पर निर्भरता में भी कमी आयेगी।

इन प्रशिक्षार्थियों में से कुछ लड़कियां निरक्षर थीं। अतः उन्हें अपने हिसाब–किताब के लिए दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये लड़कियां अपने बैंक खाते का प्रबंधन स्वयं कर सकें इसके लिए उन्हें हिसाब–किताब का बुनियादी प्रशिक्षण देना जरूरी है।

समय–समय पर जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए। इससे उनके जीवन पर असर पड़ेगा।

यह योजना मूलतः महिला मुखिया प्रधान परिवारों के लिए बनी थी। लेकिन आदर्श महिला शिक्षा समिति में ज्यादातर 15–25 वर्ष आयु समूह की अविवाहित लड़कियां हैं। इससे इस योजना का लक्ष्य अधूरा रह जाता है।

महिलाओं को केवल सूती कपड़े पर ही ज़री–ज़रदोज़ी का काम सिखाया जाता है। लेकिन जब वे अपना उत्पादन शुरू करती हैं, तब उन्हें सभी तरह के कपड़ों जैसे सूती, नेट, ब्रोकेड, शिफॉन, जॉर्जेट आदि पर भी काम करना पड़ता है। अन्य कपड़ों की तुलना में नेट और शिफॉन पर काम करना ज्यादा कठिन है और उन्हें बहुत कठिनाई होती है, काम में भी इतनी सफाई नहीं आ पाती। इसीलिए प्रशिक्षण के समय सभी तरह के कपड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे वे कुशल कारीगर तैयार हो सकें।

बकरी पालन

यूएनईसीसीएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिले के तीन ब्लॉक बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट में बकरी पालन का काम कर रहा है। केंद्र के काम को समझने के लिए मूल्यांकन टीम ने तीनों ब्लॉक के 14 गांव में सर्वे किया। इस मूल्यांकन में व्यक्तिगत लोगों से बातचीत के अलावा योजना का संचालन करने वाले अधिकारियों, समूह चर्चा और स्थानीय पशु–चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों और इस योजना से जुड़ी कुल 436 महिलाओं में से 123 महिलाओं से बातचीत की गई।

प्रशिक्षण की विषय–वस्तु, प्रशिक्षण के बाद रोजगार पर असर, महिलाओं के सामने आने वाली दिक्कतें और

मजबूरी और क्या इस प्रशिक्षण से महिलाओं में जागरूकता आ पायी है आदि बातों को समझने के लिए विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गयी।

इस मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष और आईएसएसटी द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार हैं–

कुछ महिला सदस्याओं की उम्र 18 वर्ष से कम थी और प्रशिक्षण के समय वे स्कूल जाती थीं।

संस्था द्वारा आयोजित पांच दिन की प्रशिक्षण वर्कशॉप में ज्यादातर महिलाओं ने एक दिन, कुछ ने दो दिन और बहुत कम महिलायें ऐसी थीं, जिन्होंने पूरे 5 दिन का यह प्रशिक्षण लिया।

प्रशिक्षण के बारे में महिलाओं का कहना था कि प्रशिक्षण में कोई नई जानकारी नहीं थी। यह काम वे वर्षों से करती आ रही हैं। बकरी पालन के संबंध में ऐसी कोई नई बात नहीं थी, जिसके बारे में वे न जानती हों। प्रशिक्षण में बकरियों की साफ–सफाई, उनके सोने की व्यवस्था, भोजन और जंगल में चराई के बारे में बताया गया। कुछ महिलाओं से वृक्षारोपण और दवा के बारे में पूछा गया। बकरियों को कब और कैसे दवा दी जाती है– महिलायें इसके बारे मे कुछ बता नहीं पायीं। प्रशिक्षण से पहले महिलायें बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाती थीं। प्रशिक्षण के बाद भी उन्होंने यही सिलसिला जारी रखा।

ज्यादातर महिलाओं ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। कुछ महिलाओं का कहना था कि उन्हें यात्रा भाड़ा मिला। लेकिन इसमें समानता नहीं थी। यह राशि 25–200 तक अलग–अलग थी। संस्था का कहना था कि प्रत्येक महिला को 80 रुपए प्रतिदिन छात्रवृत्ति दी गई।

केवल स्वयं सहायता समूह की मुखियाओं को ही प्रशिक्षण के बाद बकरी खरीदने के लिए पैसे दिए गये। यानि केवल चार–पांच महिलाओं को ही पैसा दिया गया। यह राशि भी समान रूप से वितरित नहीं की गयी, 5000–10000 तक असमानता थी। इस राशि से इन्होंने 1–2 बकरी खरीदीं। संस्था का कहना था कि सभी महिलाओं को बकरी खरीदने के लिए पैसा दिया गया। महिलाओं के अनुसार बकरी की रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया। संस्था का कहना था कि इस काम के लिए प्रत्येक महिला को 500 दिये गए।

बकरी के बीमार होने पर महिलायें घरेलू दवायें या जड़ी–बूटी से तैयार दवा देती हैं या स्थानीय पशु चिकित्सालय में ले जाती हैं। केवल एक समूह ने कहा कि वे ऐसी स्थिति में बकरी को यूएनइसीसीएस ले जाती हैं। ज्यादातर समूहों को बकरियों के लिए दवा नहीं मिलती है। कुछ स्वयं सहायता समूह की मुखिया या उनके रिश्तेदारों द्वारा दवाईयां दी गईं। ये दवाइयां भी ज्यादातर कफ, लिवर, एसिडिटी की थीं और मात्रा 100 मिलीलिटर। स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्याओं की बकरियों के लिए ये दवायें पर्याप्त नहीं थीं। लेकिन यूएनइसीसीएस के प्रशिक्षक का कहना था कि प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को चारा, कैल्शियम दिये जाते हैं अन्य दवायें नहीं दी जाती हैं। बकरी के बीमार होने पर वे घर में जाकर दवा देते हैं।

केवल स्वयं सहायता समूह की मुखिया और उनकी बकरियों के अलावा अन्य महिलाओं और उनकी बकरियों का बीमा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ संस्था का कहना है कि उन्होंने महिलाओं और उनकी बकरियों का तीन वर्ष का एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया है।

ज्यादातर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स, सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है। केवल एक समूह ऐसा था जिसे स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सफाई के महत्त्व के बारे में जानकारी थी। छोटे बच्चों के लिए पालना घर जैसी कोई सुविधा नहीं दी गयी थी। महिलाओं को कहीं बाहर भी नहीं ले जाया गया। इसके विपरीत प्रशिक्षक का कहना था कि महिलाओं को पौड़ी, गढ़वाल, मुन्स्यारी और कपकोट ब्लॉक के अन्य स्थानों में घुमाने ले जाया गया।

केवल एक समूह की मुखिया को पांच दिन का अलग से प्रशिक्षण दिया गया और सौ रुपए प्रतिदिन यात्रा भाड़ा दिया गया। हालांकि इस प्रशिक्षण और बकरी पालन के अन्य प्रशिक्षणों की विषय–वस्तु में कोई अंतर नहीं था।

बहुत ही कम स्वयं सहायता समूहों का कोई खाता है।

लेकिन, इनमें से अधिकांश समूहों के पास खाते में जमा करने के लिए कोई धनराशि भी नहीं है। कुछ स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं ने अपने समूह खाते में बीस रुपए प्रति सदस्य प्रतिमाह जमा किये हैं। अधिकांश समूह नियमित मासिक मीटिंग नहीं करते। कुछ स्वयं सहायता समूह बाद में बने और यह उनकी पहली मीटिंग थी। जो स्वयं सहायता समूह मीटिंग करते हैं उनकी मीटिंग का अजेंडा – बकरी पालन, खाद, खेती और परिवार के बारे में होता है। मीटिंग की कार्यवाही के बारे में इन समूहों को कोई ठीक जानकारी नहीं है। किसी भी स्वयं सहायता समूह की मुखिया को स्वयं सहायता समूह के गठन और संचालन के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इन्हें कोई मानदेय भी नहीं दिया गया है।

महिलाओं का कहना है कि वे इस प्रशिक्षण से पहले सालों से बकरी पालन का काम कर रही हैं और करती रहेंगी। इस इलाके में मुख्य रूप से मांस और खाद के लिए बकरी पालन किया जाता है दूध के लिए नहीं। ज्यादातर महिलाओं के पास 2–3 बकरियां होती ही हैं समूह के मुखिया के पास इससे भी ज्यादा बकरियां होती हैं। अभी तक केवल एक महिला ने अपने गांव में धार्मिक अनुष्ठान के लिए बकरी बेची है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। संस्था का कहना है कि उसने महिलाओं की बकरी बेचने में मदद करने के लिए स्थानीय मांस विक्रेताओं से संपर्क किया है। इसलिए यदि महिलायें बकरी बेचने में असमर्थ हैं तो संस्था उनसे बकरी के वज़न के अनुसार 160 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद लेती है और फिर आगे मांस विक्रेता को बेच देती है।

ज्यादातर समूह सदस्यायें शांत और भ्रमित थीं तथा समूह चर्चा के दौरान ज्यादा कुछ बोली भी नहीं। अलग–अलग बात करने पर भी अधिकांश महिलाओं ने कुछ कहा ही नहीं। हम कुछ महिलाओं से अलग से कुछ से समूह में मिले। इनके साथ हुई बातचीत से यही समझ में आया कि इन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं मिला।

प्लानिंग मीटिंग : जेंडर एंड इवेल्यूएशन

आईएसएसटी ने 7–8 मार्च 2011 को फेमिनिस्ट मूल्यांकन अध्ययनों के लिए तैयार किये जाने वाले विस्तृत कार्यक्रम के लिए उपरोक्त मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में शोध और प्रशिक्षण पर बनाये जाने वाले प्रपोज़ल पर चर्चा की गई। बैठक में मूल्यांकन अध्ययनों से जुड़े शोधकर्ताओं ने अपने सुझाव रखे। *यह बैठक आईडीआरसी, कनाडा के सहयोग से आयोजित की गई।*

लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश

आईएसएसटी में इन दिनों लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने पर अध्ययन चल रहा है। इस अध्ययन में एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भी बनाई गई है। इसे तैयार किया है शुभ शर्मा ने। विभिन्न शोध अध्ययनों पर आधारित समीक्षात्मक पेपर रत्ना सुदर्शन और शुभ शर्मा ने तैयार किया है। समीक्षात्मक परचे से उभरे सुझावों तथा यूनिसेफ स्टाफ, सरकारी अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के अनुभवों पर आधारित सुझावों को दिशा–निर्देश में शामिल करके उसे अंतिम रूप दिया जायेगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए तैयार किए जा रहे इस दिशा निर्देश में शिक्षा के माध्यम से पूरे देश में जेंडर समानता आ सके इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। *यह अध्ययन यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है।*

सेवा एकेडमी : विभिन्न गतिविधियों के असर का मूल्यांकन

सेवा एकेडमी में प्रॉस्विल के सहयोग से चल रही विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव को जानने के लिए आई. एस.एस.टी. को मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। यह मूल्यांकन परस्पर भागीदारी तरीके से किया जा रहा है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इन विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण के तरीके और विषय–वस्तु में सुधार और मजबूती लाना और यदि कोई चुनौतियां हैं तो उन्हें समझाना है। मूल्यांकन के पहले वर्ष में प्रशिक्षकों के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रश्नावली, कुछ चयनित प्रशिक्षकों के साथ समूह चर्चा को आधार बनाया गया है। इस काम को और गहराई से समझने के लिए सेवा एकेडमी की टीम के साथ बातचीत और कुछ प्रशिक्षण स्थानों को भी देखा गया। यह काम आईएसएसटी की शोधकर्ता रीना भट्टाचार्या के नेतृत्त्व में हुआ। *यह अध्ययन सेवा एकेडमी और प्रॉसविल के सहयोग से किया जा रहा है।*

कश्मीर : केस स्टडी

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक हिंसा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम का सामाजिक बदलाव पर क्या असर हुआ है, यह जानना है। इस अध्ययन

से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इस मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के योगदान से शांति और विकास की दिशा में कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है।

मनौवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पीएडीएचआई मॉडल अपनाया जाएगा। यह अध्ययन अल्स्टर युनिवर्सिटी, युनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया जा रहा है। इस अध्ययन में अल्स्टर युनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित मापदंडों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम

आईएसएसटी के बस्ती विकास केंद्र में इन दिनों उपरोक्त विषय पर कार्यक्रम चल रहा है। आईएसएसटी द्वारा 2008–09 में घरेलू कर्मचारियों पर किये गये अध्ययन की उपलबिध्यों और बस्ती विकास कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर ही यह योजना तैयार की गयी है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से घर में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों पर केंद्रित है। लेकिन, बस्ती की अन्य महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी और उसके आसपास यह कार्यक्रम चलेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं : महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और अधिकारों को पाने में सहयोग करना, घरेलू हिंसा, शराब आदि की लत से छुटकारा दिलाने में मदद करना आदि। इसके अलावा आई.एस.एस.टी. साल में एक गोष्ठी का संयोजन भी करेगा। इस गोष्ठी में एस.डी.टी.टी. के सहयोग से घरेलू कामगारों के बीच काम कर रहे विभिन्न संगठन हिस्सा लेंगे। इनके अनुभवों को संकलित किया जायेगा।

जेंडर रिसोर्स सेंटर के क्रियान्वयन अनुभव का मूल्यांकन और दस्तावेज

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने इस अध्ययन की शुरुआत मई 2011 में की। यह अध्ययन मुख्य रूप से दिल्ली के उत्तर–पूर्व जिले में किया जा रहा है।

आईएसएसटी ने इस सर्वे के लिए दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत और इस विषय में रुचि रखने वाले सात छात्र–छात्राओं का चयन किया। इस सर्वे में मीनाक्षी कौशिक को भी शामिल किया गया। मीनाक्षी, आईएसएसटी के विभिन्न अध्ययनों के लिए 2007–08 से सर्वे का काम कर रही हैं। इस अध्ययन और प्रश्नावली की प्रासंगिकता, मिशन कवर्जेस के उद्देश्य से परिचित कराने के लिए सर्वे से पहले आईएसएसटी में एक दिन का प्रशिक्षण रखा गया। इसमें सर्वे और प्रश्नावली के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मिशन कवर्जेस से दीपा अहलूवालिया ने हिस्सा लिया, उन्होंने मिशन कवर्जेस के बारे में जानकारी दी।

प्रश्नावली की जांच करने के लिए उत्तर–पूर्वी इलाके में मुख्य सर्वे शुरू करने से पहले पूर्वी दिल्ली की कुछ बस्तियों में सर्वे किया गया, जिससे प्रश्नावली में आवश्यक सुधार किया जा सके। जून मध्य से उत्तर–पूर्व जिले में सर्वे की शुरुआत हुई। सर्वे के लिए इस इलाके की दस बस्तियों को चुना गया। भौगोलिक स्थिति, कार्यक्षेत्र का विस्तार और जीआरसी की अवधि को आधार बनाकर जीआरसी का चुनाव किया गया। भौगोलिक स्थिति के आधार पर जीआरसी को समूहों में बांटा गया। पांच जीआरसी जिले के बाहरी हिस्से से चुनी गयी, जो बहुत बड़े इलाके में दूर–दूर बसी बस्तियों के लोगों के बीच काम कर रही हैं। पांच जीआरसी जिले के भीतरी इलाके से चुनी गयी, जो अपेक्षाकृत छोटे इलाके में नज़दीक बसी हुई बस्तियों के बीच काम कर रही हैं।

जुलाई अंत में सर्वे का काम पूरा हुआ कुल 820 परिवारों का सर्वे किया गया। सर्वे से एकत्र आंकड़ों की कोडिंग और एंट्री पूरी हो गयी है विश्लेषण का काम अगस्त अंत से शुरू होगा। समूह चर्चा भी अगस्त अंत में शुरू होगी। समूह चर्चा के पहले चरण के लिए पहल, डॉक्टर एवीबीएम ट्रस्ट, रे वेलफेयर सोसायटी और संपूर्ण (सोसायटी फॉर सोशल सर्विस) को चुना गया है।

सितंबर अंत तक मिशन कंवर्जेस को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जायेगी।

बस्ती विकास केंद्र

आईएसएसटी को पूर्वी दिल्ली की कुछ बस्तियों में काम करते हुए दस वर्ष हो गये हैं। कल्याणपुरी स्थित साथी सेंटर से ये गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना है। इसके लिए विविधता पूर्ण अभिनव तरीके जैसे समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि माध्यम अपनाए जाते हैं। छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 'बचपन' कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से आईएसएसटी साथी सेंटर बस्ती के लोगों के साथ 'सूचना के अधिकार' पर काम कर रहा है। राशन कार्ड, आय प्रमाण–पत्र लेने के लिए अक्सर लोगों को एमसीडी और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन सब कामों के लिए आर टी आई अच्छा माध्यम है। प्रतिदिन की समस्याओं और किसी भी आवेदन का जवाब पाने के लिए आरटीआई एक जरूरी माध्यम की तरह बनता जा रहा है। बस्ती में घरेलू महिला कामगारों की बहुत अधिक संख्या है। इन्हें, इनके परिवार और बच्चों को हर तरह से सहयोग की ज़रूरत है। अतः अप्रैल 2011 से बस्ती विकास केंद्र ने इनके बीच काम करना शुरू किया है।

बस्ती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईएसएसटी साथी केंद्र, कल्याणपुरी में बस्ती के लिए दो सर्टिफिकिट कोर्स चलाए जा रहे हैं – कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी और फंक्शनल इंग्लिश। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि छः माह है। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन पर बच्चों को संबंधित विषय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस समय दोनों पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग 80 है।

सामाजिक सुविधा संगम

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आईएसएसटी जीआरसी – सुविधा केंद्र की शुरुआत 12 अक्टूबर 2009 को हुई थी। इसका कार्यक्षेत्र कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर और मयूर विहार फेज़–2 है। बस्ती के लिए उपलब्ध सरकारी सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी से बस्ती के लोगों में जो अत्यधिक उत्साह और उम्मीदें हैं, उनकी प्रत्यक्ष गवाह है – आईएसएसटी जीआरसी सेंटर।

आईएसएसटी जीआरसी में निम्नलिखित सेवायें उपलब्ध हैं – स्वास्थ्य कैम्प, पौष्टिक आहार कैम्प, हैल्थ क्लीनिक, लीगल काउंसलिंग, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सर्वे में सबसे अधिक मांग किए जाने वाले दो कोर्स कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्ती की युवा लड़कियों ने वोकेशनल कोर्सों में विशेष रुचि दिखाई। बस्ती के लोगों को गतिशील बनाने, जानकारी देने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स नियमित रूप से बस्ती जाती हैं। सेंटर द्वारा चलाये जाने वाले हैल्थ कैंप में सभी उम्र के लोग अच्छी संख्या में आते हैं। हैल्थ क्लीनिक में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें ज्यादा आती हैं। पौष्टिक आहार कैम्प में भी अच्छी संख्या में महिलायें आती हैं। इस कैंप में इन्हें बीमारी, गर्भावस्था, बाल्यावस्था आदि के लिए किस तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसका क्या महत्त्व है आदि बातों की जानकारी दी जाती है और बनाकर भी दिखाया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा में कल्याणपुरी इलाके के युवा लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़के–लड़कियां ऐसे हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं या किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर बहुत–से बच्चों ने ओपन स्कूल में एडमीशन लिया है। इस कार्यक्रम की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कानूनी परामर्श कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आएं, इसके लिए बस्ती के लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हालांकि बड़े पैमाने पर हुए जागरूकता सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आज तक आईएसएसटी जीआरसी के 7 स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, इनमें से तीन समूह राष्ट्रीकृत बैंक से संबद्ध हो गए हैं।

ISST
आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र, साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 18, अंक 3, 4

जुलाई – दिसंबर 2011

नोबेल पुरस्कार
कमलेश श्रीवास्तव

एक और दिवस
आशिमा

दिल्ली में घरेलू हिंसा : एक अध्ययन

घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

इस वर्ष यानि 2011 में तीन महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये महिलायें हैं– लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जानसन सरलीफ और लीमाह बोवी तथा यमन की तवक्कुल कारमन। सन् 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। स्वीडन के उद्योगपति, रसायनशास्त्री और डायनामाइट के खोजकर्ता डॉक्टर अल्फ्रेड बनार्ड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष दस दिसंबर को ये पुरस्कार दिये जाते हैं।

1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इस पुरस्कार में पदक नोबेल प्रशस्ति पत्र तथा एक करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलती है। ये पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन की ओर से दिये जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कारों के लिए अलग–अलग संस्था बनी हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार नार्वे की संसद समिति विचार करती है। साहित्य का स्वीडिश अकादमी, अर्थशास्त्र का बैंक ऑफ स्वीडन, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान का नोबेल एसेंबली ऑफ केरोलिस्का इंस्टीट्यूट, भौतिक व रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साईसेज तय करती है।

इस अंक में प्रस्तुत है विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत महिलाओं की संक्षिप्त जानकारी।

अब 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनैशनल डे फॉर दि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन' घोषित किया है। क्या 365 दिन में से एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने से महिलाओं की रोज की या जीवन भर की समस्यायें हल हो जाती हैं ? और यदि एक दिवस किसी के नाम से कर देना ही समस्या का निदान है तो यह तो बहुत पहले ही किया जा सकता था।

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है, वह तो 165 देशों की सूची में 141वां नंबर से स्पष्ट हो जाती है। इस अंक में दिये जा रहे आशिमा के लेख से समाज में महिलाओं की स्थिति की झलक मिलती है।

इसके अलावा प्रस्तुत है आईएसएसटी की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी।

नोबेल–महिलाएं

कमलेश श्रीवास्तव

वे भले ही अलग–अलग देशों की रही हों, लेकिन शांति और लोकतंत्र के लिए किया गया संघर्ष एक जैसा ही है। धर्म अलग है तो क्या हुआ सारी दुनिया की भलाई के लिए उनके विचारों में समानता है। ये कोई पर्दे पर अदा बिखेरती अदाकारा नहीं हैं, लेकिन ये वे नायिकायें हैं, जिनकी लगन और हिम्मत का लोहा समूचा संसार मान चुका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं की जमात काफी लंबी है और इस वर्ष यानि 2011 में तीन–तीन महिलाओं को शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है। कभी शांतिदूत तो कभी सामाजिक बुराईयों के खिलाफ कदम उठाकर तो कहीं विज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य खोज कर इन नोबेल महिलाओं को शिखर तक पहुंचाया। इनका योगदान सचमुच अनुकरणीय है।

1901 से शुरु हुए नोबेल पुरस्कार में 1903 में पहली महिला को नोबेल पुरस्कार मिला। ये थीं– पोलैण्ड में जन्मी मैरी क्यूरी। यह पुरस्कार भौतिकी में मिला तथा 1911 में भी उन्हें यह सम्मान रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी पर विशेष अनुसंधान के लिए दिया गया। 1963 में फ्रांस की मारिया जी मेयर ने भौतिकी में पुरस्कार जीता। इसके बाद तो एक के बाद एक पुरस्कारों पर महिलाओं का कब्ज़ा होता गया।

इनमें से तो अधिकतर महिलायें साधारण परिवार की थीं। जिन्होंने अपनी विलक्षण योग्यता के बल पर विश्व का सर्वोच्च नोबेल सम्मान पाया। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों में 1935 में फ्रांस की इरीड जोलियट को और ब्रिटेन की डोरथी को मिला। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान में 1947 में अमेरिका की गेर्टीकारी, 1977 में भी अमेरिका की ही रोसलिन को मिला। 1983 में बराबर मैकलिंटोक, 1986 में इटली की रीटा लेवी, 1988 में अमेरिका की ही जीबी अलियन, 1995 क्रिस्टीन बोलहाई व 2004 में अमेरिका की लिंडा बल को इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार मिले। विज्ञान के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले नोबेल भी ज्यादा समय तक महिलाओं से दूर नहीं रहे। 1909 में स्वीडन की सेलमा लेजरलॉफ को साहित्य का नोबेल सम्मान दिया गया। 1926 में इटली की जर्जिया डेलल्डाड, 1928 में नार्वे की सिग्रिड अंडसेट, 1938 में अमेरिका की पर्ल बक को उनकी रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में अमेरिका की टोनी मॉरिसन, 1996 में पोलैण्ड की विस्लाव सिजमर्वोस्का को यह सम्मान मिला। 2004 में इस क्षेत्र का सम्मान आस्ट्रिया की कथाकार एल्फ्रीड जेलेनिक को दिया गया। शांति के लिए जूझने वाली आस्ट्रिया की बेरथावॉन की हिम्मत तो देखिए कि उन्होंने युद्ध के खिलाफ आंदोलन चलाकर शांति की शुरुआत की। 1890 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चले इस अभियान में बेरथा ने अपने पास से धन लगाया। यह वह समय था जब युद्ध आम बात थी। युद्ध के खिलाफ शांति कायम करने के आंदोलन के लिए बेरथावॉन को 1905 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1931 में अमेरिकन महिला जान एडम को भी युद्ध के दौरान शांति बहाली के प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तरी आयरलैंड में अराजकता व हिंसा के साथ ही आयरिश सैनिकों द्वारा दो बच्चों को कार से कुचलने के विरोध में जमकर संघर्ष करने वाली ब्रिटेन की बेटी विलियम व मेयरी कॉरिगन को 1976 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। 1979 में भारत की मदर टेरेसा को सेवाभाव के लिए शांति का नोबेल सम्मान मिला। 1982 में स्वीडन की अल्वा मिर्डल को यह सम्मान दिया गया। इसके बाद 1991 में वर्मा में लोकतंत्र के लिए संघर्षरत आंन सांग सू की को नोबेल शांति सम्मान व 1992 में ग्वाटेमाला में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली रिगोबेर्टा मेच्यु के साहस को यह पुरस्कार हासिल हुआ। 1977 में अमेरिका की जोड़ी विमियम इस सम्मान की हकदार बनी। वर्ष 2003 में ईरान की पहली महिला जज शिरीन इबादी को मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने के कारण नोबेल सम्मान मिला। वे यह सम्मान पाने वाली दुनिया की पहली मुस्लिम महिला बनीं।

विभिन्न क्षेत्रों में 44 महिला नोबेल पुरस्कार विजेता

अब तक 15 महिलाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 12 महिलाओं को उनकी कलम ने उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया। दस बार महिला चिकित्सकों को ये पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में अब तक चार बार महिलायें रसायन शास्त्र के नोबेल जीत चुकी हैं। महिलाएं भौतिकी में नोबेल

सम्मान की दो बार और अर्थशास्त्र में एक बार हकदार बनी हैं।

दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी (1903, 1911)

पोलैण्ड के वारसा में 7 नवंबर 1867 को जन्म लेने वाली मैरी क्यूरी से विज्ञान के विद्यार्थी भली–भांति परिचित हैं। मैडम क्यूरी के नाम से विख्यात इस महिला ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अलग–अलग नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। एक साधारण शिक्षक परिवार में जन्मी मैडम क्यूरी ने लगन और मेहनत के बल पर पढ़ाई कर अपने लिए शिखर का स्थान सुरक्षित किया। 1891 में क्यूरी की पेरिस की सोरबोने विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर पियरे क्यूरी से मुलाकात हुई और फिर शादी। एक ही क्षेत्र में दोनों ने काम किया। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनके पति पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को मिला। पति की अचानक मृत्यु के बाद क्यूरी ने अनुसंधान में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत और रंग लाई। 1911 में मैरी क्यूरी को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियो एक्टिविटी पर विशेष कार्य की दुनिया भर में सराहना हुई। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में एक मात्र ऐसी महिला रहीं, जिन्हें दो बार यह सम्मान प्राप्त हुआ।

पहली मुस्लिम महिला शिरीन इबादी – 2003

ईरान की प्रसिद्ध वकील और मानवाधिकारों की सक्रिय कार्यकर्ता शिरीन इबादी को 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 1947 में तेहरान में जन्मी इबादी ने तेहरान विश्वविद्यालय में वकालत की डिग्री प्राप्त की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। इबादी शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काफी सक्रिय रही हैं। विशेषकर शरणार्थी महिलाओं और बच्चों के लिए उन्होंने विशेष तौर पर काम किया है। इबादी ने इस पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। वह ईरान में मुस्लिम सुधार की सूत्रधार भी मानी जाती हैं। वे इस कारण जेल भी जा चुकी हैं।

आंन सांग सू की संघर्ष गाथा – 1991

19 जून 1945 को रंगून के एक सैनिक परिवार में जन्मी आंन सांग सू की लोकतंत्र के लिए संघर्ष गाथा अनुकरणीय है। जेल की चहारदीवारी और संगीनों के साये भी सू की के बुलंद हौसलों को नहीं छू सके। पिता के नाम आंन सांग व मां और दीदी का नाम मिलाकर ही इनका नाम रखा गया था। स्यू की जब मात्र दो वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। आंन सांग सू की मां डॉ. किन की भारत में वर्मा की राजदूत बनीं। इस प्रकार आंन सांग सू की का बचपन भारत में ही बीता। दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेज में आंन सांग सू की ने पढ़ाई की। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए आंन सांग ने सैनिक सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा रखा है। 1990 में म्यांमार में संसद चुनाव हुए। इस चुनाव में आंन सांग सू की पार्टी लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी सफलता मिली। सैनिक सरकार ने उन्हें सत्ता सौंपने की जगह सू की को उनके समर्थकों के साथ जेल में डाल दिया। सू की के इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। उन्हें वर्ष 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। आंन सांग का अभी भी लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष जारी है।

2011 में महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार

इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार तीन महिलाओं को दिया गया है। इनमें से लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जानसन सरलीफ और लाइबेरिया में शांति अभियान की कार्यकर्ता लीमाह बोवी और यमन की मानवाधिकार कार्यकर्ता तवक्कुल कारमन हैं। 29 अक्टूबर 1938 को लाइबेरिया के मोनोवेरिया में जन्मी प्रख्यात अर्थशास्त्री व लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जानसन सरलीफ ने कॉलेज ऑफ वेस्ट अफ्रीका युनिवर्सिटी ऑफ विस्किसिन और जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एकाउंट्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। राजनीतिक जीवन में वे पहली बार 1972–73 तक के बीच लाईबेरिया की उपमंत्री रहीं। 1979–80 के बीच वे वित्तमंत्री रहीं और 1997 में राष्ट्रपति के लिए मैदान में उतरीं पर सफल नहीं हो पायीं। 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में वे विजयी रहीं। 14 साल के गृहयुद्ध के बाद शांति स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है। इनके कार्यकाल में देश की अर्थ–व्यवस्था में सुधार आया।

मध्य अफ्रीका में जन्मीं लीमाह बोवी को लाइबेरिया में दूसरे गृहयुद्ध को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2002 में गृहयुद्ध के दौरान महिलाओं को शांति स्थापना के लिए एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। लीमाह बोवी वुमन पीस एंड सिक्यूरिटी नेटवर्क अफ्रीका नाम के संगठन की प्रमुख हैं। अकरा

में राष्ट्रपति भवन के सामने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर युद्ध के खात्मे की नींव रखी।

यमन में कई वर्षों से सत्ता पर काबिज़ अबदुल्ला सालेह को अपदस्थ करने के लिए कई महिनों से जारी विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्वक तरीकों से हिस्सा लेने में तवक्कुल कारमन सबसे आगे रहीं। पेशे से पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता कारमन तीन बच्चों की मां हैं। सालेह प्रशासन की ओर से हत्या और जेल भेजे जाने की धमकी के आगे वे नहीं झुकीं और मोर्चा संभाले रखा।

नोबेल विजेताओं को प्रेरणा देतीं महिलायें

वे महिलायें जिन्होंने नोबेल सम्मान पाया उन्हें तो दुनिया जान गई, लेकिन वे महिलायें जो नोबेल सम्मान पाने वालों के लिए प्रेरणा बनीं उनका योगदान भी किसी से कम नहीं है। 1960 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले दक्षिण अफ्रीका के अलबर्ट जान ल्यूटिली, 1937 में शांति पुरस्कार पाने वाले ब्रिटेन के लार्ड सेमिल व 1949 के शांति पुरस्कार विजेता लार्ड ब्रायड ने अपनी–अपनी आत्मकथाओं में नोबेल पुरस्कार पाने में पत्नियों को श्रेय दिया है। अलबर्ट ल्यूटिली ने आत्मकथा में नोबेल सम्मान अपनी मां को समर्पित किया है। 1901 में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए चुने गये फ्रांस के फ्रेडरिक पैमी ने अपनी पत्नी के लिए प्यारी–सी कविता ही रच दी तो 1902 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता स्विटरजरलैंड के एली डुकामन ने अपनी पत्नी एडील के लिए छोटी–सी कविता लिख डाली जो कि उनकी पुस्तक में छपी। लार्ड ब्रायड की पत्नी उनका सारा काम देखती थीं। यहां तक कि उनके लेख व पत्र अपने हाथों से ही टाईप करती थीं। 1908 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डेनमार्क के फ्रेडरिक बेयर की पत्नी मैरिडित बेयर भी बेयर के लेख व पत्र टाईप करती थीं। 1952 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता फ्रांस के अल्बर्ट श्वेजर के खातिर तो उनकी पत्नी कैरियर बदलकर नर्स बन गईं और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान घायलों की सेवा की। 1962 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के लिनियम कार्ल पाउलिंग ने पुरस्कार ग्रहण करते समय ही कहा था कि इसमें उनकी पत्नी अवा हेलेन पाउलिंग का बहुत योगदान है। यह सम्मान मैं उनके साथ बाटूंगा। 1986 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के एली विसेल की पत्नी मैरियल विसेल का भी जवाब नहीं। लियान व उनके साथी जर्मन सरकार की कैद में थे तब लियान की पत्नी ने जेलर को जर्मनी में बोलकर प्रभावित किया और जेल के अंदर अपने पति व उनके साथियों को सुविधायें पहुंचाईं। पत्नियों के साथ मां की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रही। 1968 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता फ्रांस के रीने केसिन की मां ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अपने बेटे की जान बचाई। बेटे के पेट में घाव थे। मां ने नर्स बनकर उसे अस्पताल पहुंचाया और एक डॉक्टर से अनुरोध कर बेटे के प्राण बचाये। 1946 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंन सांग सू की ने एक चैनल को दिये साक्षात्कार में 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार का श्रेय अपनी मां को दिया।

संस्कार पत्रिका से साभार

एक और दिवस

आशिमा

24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनैशनल डे फॉर दि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन' घोषित किया है। इसका उद्देश्य है महिला विरोधी हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस मुद्दे पर लोगों में चेतना फैलाएंगे और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसे प्रयास वर्षों से जारी हैं, लेकिन आज भी महिला विरोधी हिंसा में कमी नहीं आई है। हमारे देश में महिलाओं को कई स्तर पर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होती है। महिलाओं के रहन–सहन और सोच को लेकर ताने दिए जाते हैं। उनकी पोषाक को लेकर फरमान जारी किए जाते हैं। यह सब भी उनके खिलाफ हिंसा का ही रूप है।

मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत ने लड़कियों के जींस–टॉप पहनने

पर रोक लगा दी है। कारण यह बताया गया कि ऐसे वेस्टर्न पहनावों के कारण छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। लड़कियों का यही पहनावा प्रेमी युगल के भागने का और उनके साथ दुर्व्यवहार का कारण बन रहा है। इसे लागू करने के लिए पांच महिलाओं की एक टीम का भी गठन किया गया है। खाप का यह फैसला अन्यायपूर्ण है और हास्यास्पद भी। यदि लड़कियों का पहनावा ही उनके साथ होने वाले अभद्र व्यवहार का कारण है, तो जो लड़कियां जींस के बजाय सलवार कमीज पहनती हैं, उनके साथ छेड़खानी क्यों हो जाती है ? यहां तक कि अधेड़ उम्र की औरतों के साथ भी चलते–फिरते दुर्व्यवहार हो जाता है। छोटी–छोटी बच्चियों तक के साथ भी इस तरह का व्यवहार होते देखा गया है। उनके लिए कौन–सी पाबंदी पेश करने वाली हैं ये पंचायतें ?

इन पंचायतों ने तमाम सामाजिक–आर्थिक बदलावों से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वे अब भी मध्ययुगीन मानसिकता में जी रही हैं और समाज को भी उसी युग में रखना चाहती हैं। लेकिन शिक्षित और संभ्रांत कहा जाने वाला वर्ग भी स्त्रियों के प्रति संकीर्ण रवैये का शिकार है। यदि किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो यह वर्ग तुरंत अपना यह निर्णय सुनाएगा–'उस लड़की के ही रंग–ढंग ऐसे होंगे या पहनावा ही ऐसा होगा।' मानो उस व्यक्ति की कोई गलती ही नहीं, जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वह सब कुछ कर के पाक साफ है और लड़कियों ने सिर्फ पहनावा बदल कर ही जैसे भारी गुनाह कर दिया हो। पढ़े–लिखे परिवारों में भी जहां कुछ परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे कभी कपड़े पहनने का ढंग बदलने को कहते हैं तो कभी देर शाम बाहर घूमने से रोकते हैं। लेकिन कभी उसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखाते, क्योंकि यदि लड़कियां किसी तरह की शिकायतें घर ले आयें, तो उसे उनकी बदनामी का सबब माना जाता है। मनचले इसी बात का फायदा उठाते हैं।

आज भी लड़कों को वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखा जाता हैं और लड़कियों को आश्रित प्राणी के रूप में। बोलने के ढंग से लेकर काम करने के सलीके तक, सब लड़कियों के लिए ही बने हैं। और यही सोच विद्रूपता की सीमा पार करके धीरे–धीरे दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का रूप ले लेती है। लेकिन इन सबका पुरजोर विरोध करने के लिए कोई संगठन सामने नहीं आता। दिल्ली पुलिस ने सेल्फ डिफेंस जैसे तमाम ऐसे कार्यक्रम चला रखे हैं, जिनसे महिलाओं को सशक्त किया जा सके। लेकिन जब परिवार वाले अपनी बच्चियों को ऐसे कार्यक्रमों में जाने की इजाजत ही नहीं देंगे, तो इसका फायदा क्या होगा। दुर्भाग्य से अपनी लड़कियों को रोकने–टोकने का काम पिताओं के साथ मातायें भी करती हैं। स्त्रियां अपने को स्ववंत्र और सुरक्षित समझ सकें, इसके लिए कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाने की जरूरत है। स्त्रियों को कई स्तर पर अलग–से प्रोत्साहन देने तथा उनके लिए कल्याण योजनायें भी चलानी होंगी। अगर उनकी सामाजिक हैसियत बदलेगी तो उनके प्रति समाज का रवैया भी बदलेगा।

नवभारत टाइम्स से साभार

लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश

आईएसएसटी में लड़कियों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने पर चल रहा अध्ययन पूरा हो चुका है। इस अध्ययन से पूरे देश में जेंडर समानता और समान दर्जे की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इस अध्ययन का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ को तकनीकी और दिशा–निर्देश तैयार करने में सहयोग देना था। इस अध्ययन में क्षेत्रीय आंकड़ों और जानकारियों को एकत्र करके दिशा–निर्देश में एक साथ रखा गया है। ये दिशा – निर्देश मानव संसाधन मंत्रालय में उपलब्ध

होगा, जिसे लड़कियों की शिक्षा की योजना में प्लानिंग और क्रियान्वयन में उपयोग किया जायेगा।

इसके अलावा आईएसएसटी इस विषय पर हुए अब तक के शोध अध्ययनों के निष्कर्षों पर आधारित एक विश्लेष्णात्मक परचा भी तैयार करेगा। इस अध्ययन में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर असमानता को कम करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिये गये हैं। यह अध्ययन यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है।

सबके लिए शिक्षा : 2009 में सबके लिए शिक्षा पर किये गये अध्ययन के निष्कर्षों के प्रचार–प्रसार के लिए अध्ययन के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय गोष्ठियों की श्रृंखला आयोजित की गई। ये गोष्ठियां मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में हुईं। इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया। सितंबर 2011 में यह अध्ययन पूरा हो गया है। यह अध्ययन आईडीआरसी के सहयोग से किया गया।

कश्मीर : केस स्टडी इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक हिंसा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम का सामाजिक बदलाव पर क्या असर हुआ है, यह जानना था। इस अध्ययन से यह जानने की कोशिश की गई कि इस मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के योगदान से शांति और विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। मनौवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पीएडीएचआई मॉडल अपनाया गया। इस अध्ययन में नैतिकता, सम्मान और परस्पर भागीदारी का पूरा ध्यान रखा गया। इस अध्ययन के लिए युनिवर्सिटी ऑफ अल्सटर, युनाइटेड किंगडम के शोध मानदंडो को ध्यान में रखते हुए एक एथिक्स कमेटी भी बनाई गई थी। अक्टूबर 2011 में इस अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। युनिवर्सिटी ऑफ अल्सटर के सहयोग से यह अध्ययन किया गया।

जेंडर रिसोर्स सेंटर के क्रियान्वयन अनुभव का मूल्यांकन और दस्तावेज

यह अध्ययन दिल्ली सरकार के सामाजिक सुविधा संगम के सहयोग से किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने इस अध्ययनकी शुरुआत मई 2011 में की। यह अध्ययन दिल्ली के उत्तर–पूर्व जिले में किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीआरसी सेंटर तक लक्षित समूह की पहुंच और भागीदारी के मूल्यांकन की कोशिश करना था।

इस अध्ययन में दोनों ही तरह के परिवारों को शामिल किया गया। एक तो वे परिवार जो जीआरसी की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और दूसरे वे जो इसकी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते। सामाजिक सुविधा संगम के साथ हुई बैठक में अध्ययन की रूपरेखा निश्चित की गई थी। निश्चित रूपरेखा के अनुसार इस जिले से 10 जेंडर रिसोर्स सेंटर को अध्ययन के लिए चुना गया। इनमें से 80 प्रतिशत जीआरसी का उपयोग करने वाले और 20 प्रतिशत जीआरसी का उपयोग नहीं करने वाले परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया। यह अध्ययन मुख्यरूप से पारिवारिक सर्वे पर आधारित था। अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए चयनित जीआरसी के कार्यकर्ताओं के साथ सघन बातचीत और बस्ती के लोगों के साथ समूह चर्चायें भी की गईं। इस इलाके की दस बस्तियों से 820 परिवारों का सर्वे किया गया। अक्टूबर 2011 में सामाजिक सुविधा संगम को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है।

दिल्ली में घरेलू हिंसा : एक अध्ययन

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और शहरों में घरेलू हिंसा के विरोध में की जाने वाली विशेष पहल के बाद भी इस दिशा में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि घरेलू हिंसा के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। महिलायें भी अपने साथ हो रहे अत्याचार को सामने लाने में डरती हैं और किसी भी तरह की मदद लेने में संकोच करती हैं। अतः व्यवहार और सचाई में बहुत अंतर है। प्रस्तुत अध्ययन में वास्तविकता को खोजने का प्रयास किया गया है।

दिल्ली के पूर्वी जिले की कल्याणपुरी बस्ती को इस अध्ययन का केंद्र बनाया गया। बस्ती की ऐसी महिलाओं से बातचीत की गई जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं या जिनके साथ घरेलू हिंसा जारी है। इन महिलाओं के अलावा उन अधिकारियों से भी बातचीत की गई, जो घरेलू हिंसा के कानूनी मामले देख रहे हैं। इस बातचीत से हमें नीतियों, उनके क्रियान्वयन और प्रभाव के बीच की दूरी समझने में मदद मिली। महिलायें हिंसा की ही पात्र हैं इस सामाजिक धारणा को साबित करने के उद्देश्य के साथ ही अध्ययन का तरीका पूरी तरह गुणात्मक है। हमारे इस अध्ययन में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का परिस्थितिजन्य और ढांचागत स्वरूप उभरकर आयेगा, ऐसी उम्मीद है। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाने

वालों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, ऐसी आशा है। यह अध्ययन एशिया फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

देश के निर्धनतम इलाकों में महिलाओं की जागरूकता

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से यूएन फंड ट्रस्ट के सहयोग से प्रधान और जागोरी देश के चार राज्यों में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का महिलाओं के व्यवहार और व्यक्तित्त्व पर राजनैतिक, आर्थिक, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और पितृ सत्ता इन चार क्षेत्रों में क्या असर हुआ है इसे समझने के लिए बेसलाईन, मिडलाईन और एंडलाईन सर्वे का काम आईएसएसटी को सौंपा गया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा 9 जिलों में ग्रामीण आबादी के बीच चल रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना और पितृसत्तात्मक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना है।

जिस गांव में यह कार्यक्रम चल रहा है, वहां बेसलाईन अध्ययन किया गया। इस बेसलाईन अध्ययन के लिए आईएसएसटी को एक ढांचा तैयार करना था, जिसमें सेंपिल सिलेक्शन, ड्राफ्ट प्रश्नावली, समूह चर्चा की रूपरेखा और विश्लेषण प्लान शामिल था। सभी नौ जिलों में जहां यह कार्यक्रम चल रहा है सर्वे द्वारा स्वयं सहायता समूहों की जानकारी एकत्र की गई। जागरूकता, व्यवहार आदि का स्तर उभर कर आ सके प्रश्नावली में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया। सर्वे शुरु करने से पहले सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया गया। समूह चर्चा के लिए संवेदनशील मुद्दों पर भी अलग से प्रशिक्षण दिया गया। बेसलाईन सर्वे के लिए ग्रामीण स्तर का सेकेंड्री डेटा भी एकत्र किया गया तथा कार्यरत सरकारी विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की गई।

जेंडर एंड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट : इवेल्यूएशन कंसर्न

देश में महिलाओं पर होने वाले शोध अध्ययनों के मूल्यांकनों की समीक्षा के उद्देश्य से 15 और 16 दिसंबर को आईएसएसटी द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में इन मूल्यांकन अध्ययनों में कहां, क्या परिवर्तन किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की गई । मुख्यरूप से इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य महिलाओं से संबंधित मूल्यांकन अध्ययनों को जेंडर संवेदनशील बनाना है। अतः पारदर्शी संवेदनशील मूल्यांकन अध्ययन के लिए भारतीय अनुभव पर आधारित साहित्य के योगदान की जरूरत है।

सेवा एकेडमी : विभिन्न गतिविधियों के असर का मूल्यांकन

सेवा एकेडमी में प्रॉस्विल के सहयोग से चल रही विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव को जानने के लिए आई. एस.एस.टी. को मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। यह मूल्यांकन परस्पर भागीदारी तरीके से किया जा रहा है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इन विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण के तरीके और विषय–वस्तु में सुधार और मजबूती लाना और यदि कोई चुनौतियां हैं तो उन्हें समझाना है। पहले वर्ष का मूल्यांकन तीन स्तरों पर किया गया। पहले दो स्तर मुख्यतः प्रशिक्षकों से बातचीत पर आधारित थे। तीसरे स्तर के मूल्यांकन में आईएसएसटी ने कुछ चयनित प्रशिक्षार्थियों के साथ समूह चर्चा, सेवा एकेडमी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और कुछ चुने हुए प्रशिक्षण स्थानों के अवलोकन को आधार बनाया। इस मूल्यांकन अध्ययन का पहला चरण समाप्त होकर दूसरा चरण शुरू हो गया है।

घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यक्रम :

आईएसएसटी के बस्ती विकास केंद्र में इन दिनों

उपरोक्त विषय पर कार्यक्रम चल रहा है। आईएसएसटी द्वारा 2008–09 में घरेलू कर्मचारियों पर किये गये अध्ययन की उपलबिध्यों और बस्ती विकास कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर ही यह योजना तैयार की गयी है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से घर में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत इन महिलाओं और उनके बच्चों की समस्याओं को समझकर उनकी मदद करना है। यह सहायता सीधे भी की जा सकती है या आईएसएसटी के जेंडर रिसोर्स सेंटर के साथ मिलकर। जेंडर रिसोर्स सेंटर दिल्ली सरकार की योजना है इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच और पात्रता बढ़ाना है।

इसके अलावा आई.एस.एस.टी. इस विषय पर एस.डी.टी.टी. के सहयोग से काम करने वाली सहयोगी संस्थाओं की एक वार्षिक बैठक भी करेगा। जिससे एक ही क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न माध्यमों से परिचित होकर इन घरेलू कामगारों को सम्मानजनक जीवन दे सकें।

इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने 13–14 अक्टूबर 2011 को घर में काम करने वाली महिलाओं पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप इंडिया हैबिटेट सेंटर के विलो सभागार में आयोजित हुई। वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था – इस क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों के बारे में जानकारी, अनुभवों के परस्पर आदान–प्रदान से इस काम को और अधिक असरकारी बनाने का प्रयास।

इन दो दिनों में इस विषय पर हुई प्रस्तुति और चर्चा से बहुत कुछ नया सीखने मिला। इस कार्यशाला में इस काम से जुड़े विभिन्न संगठनों : राजस्थान महिला कामगार यूनियन, जयपुर (राजस्थान), साथ चेरिटेबिल ट्रस्ट, अहमदाबाद (गुजरात), दूरबार महिला कामगार कमिटि, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), परिचिति, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), सेवा भारत (दिल्ली), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (दिल्ली), इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट (दिल्ली), सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट, मुंबई(महाराष्ट्र) के प्रतिनिधियों तथा अन्य विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

बस्ती विकास केंद्र : आईएसएसटी को पूर्वी दिल्ली की कुछ बस्तियों में काम करते हुए दस वर्ष हो गये हैं। कल्याणपुरी स्थित साथी सेंटर से ये गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना है। इसके लिए विविधता पूर्ण अभिनव तरीके जैसे समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि माध्यम अपनाए जाते हैं।

छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 'बचपन' कार्यक्रम भी चलाया जाता है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां चलायी जाती हैं। बच्चों का एक समूह है, इसका नाम बाल–मंच है। ये समूह विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। बच्चों को सप्ताह में दो दिन पौष्टिक आहार दिया जाता है। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के सहयोग से चल रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से आईएसएसटी साथी सेंटर बस्ती के लोगों के साथ 'सूचना के अधिकार' पर काम कर रहा है। पिछले तीन महीनों में बस्ती के अधिकांश लोगों ने साथी सेंटर की सहायता से आरटीआई के बहुत से मामले दर्ज किये।

बस्ती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : आईएसएसटी साथी केंद्र, कल्याणपुरी में बस्ती के लिए दो सर्टिफिकिट कोर्स चलाए जा रहे हैं – कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी और कामकाजी इंग्लिश। इन दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि छः माह है। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन पर बच्चों को संबंधित विषय का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस समय दोनों पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग 70–75 है।

सामाजिक सुविधा संगम : पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आईएसएसटी जीआरसी – सुविधा केंद्र को काम करते हुए दो वर्ष हो चुके हैं।

आईएसएसटी जीआरसी में निम्नलिखित सेवायें उपलब्ध हैं – स्वास्थ्य कैम्प, पौष्टिक आहार कैम्प, हैल्थ क्लीनिक, लीगल काउंसलिंग, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सर्वे में सबसे अधिक मांग किए जाने वाले दो कोर्स कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्ती की युवा लड़कियों ने वोकेशनल कोर्सों में विशेष रुचि दिखाई। बस्ती के लोगों को गतिशील बनाने, जानकारी देने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइज़र्स नियमित रूप से बस्ती जाती हैं। सेंटर द्वारा चलाये जाने वाले हैल्थ कैंप में सभी उम्र के लोग अच्छी संख्या में आते हैं। हैल्थ क्लीनिक में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें ज्यादा आती हैं। पौष्टिक आहार कैम्प में भी अच्छी संख्या में महिलायें आती हैं। इस कैंप में इन्हें बीमारी, गर्भावस्था, बाल्यावस्था आदि के लिए किस तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसका क्या महत्त्व है आदि बातों की जानकारी दी जाती है और बनाकर भी दिखाया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा में कल्याणपुरी इलाके के युवा लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़के–लड़कियां ऐसे हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं या किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर बहुत–से बच्चों ने ओपन स्कूल में एडमीशन लिया है। इस कार्यक्रम की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कानूनी परामर्श कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आएं, इसके लिए बस्ती के लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हालांकि बड़े पैमाने पर हुए जागरूकता सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आज तक आईएसएसटी जीआरसी के 7 स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, इनमें से तीन समूह राष्ट्रीकृत बैंक से संबद्ध हो गए हैं।

जीआरसी का हेल्प डेस्क बस्ती के लोगों को राशन कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र आदि प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरने में मदद करता है। इसके अलावा जीआरसी कार्यालय को आधार कार्ड बनाने के लिए भी केंद्र बनाया गया। इस काम में भी जीआरसी कार्यकर्ताओं ने मदद की। आधार कार्ड बनवाने के लिए 2072 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए,
इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र, साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234

अपूर्णीय क्षति

8 जुलाई 2011 को आईएसएसटी की वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉ. रीना भट्टाचार्या का निधन हो गया। वे आईएसएसटी में केवल रिसर्च फैलो ही नहीं, नये शोधकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका भी थीं। सन् 1987 से कार्यरत रीना आईएसएसटी की मजबूत स्तंभ थीं।

आईएसएसटी परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धाजंलि।